पीड पोस्ट / फैक्स

पत्रांक– 14 / मु०13–179 / 2014 –947

शिक्षा विभाग

बिहार पटना

प्रेषक,

उप निदेशक (उच्च शिक्षा)

सेवा में,

कुलसचिव,
ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,
दरभंगा।

पटना दिनांक 25-7-14

विषयः– एम०जे०सी० सं०–1700 / 2014, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ, बिलट महथा आदर्श महाविद्यालय, बहेरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में दिनांक 04.08.2014 को बैठक के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि एम०जे०सी० सं०–1700 / 2014, शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघ, बिलट महथा आदर्श महाविद्यालय, बहेरी बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में अवमाननावाद माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। यह अवमाननावाद सी०डब्लु०जे०सी० सं०–8833 / 2010 में दिनांक 15.10.2012 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु दायर किया गया है। सी०डब्लु०जे०सी० सं०–8833 / 2010 में दिनांक 15.10.2012 को पारित न्यायादेश में माननीय उच्च न्यायालय ने विभाग तथा विश्वविद्यालय के अधिकारी को मिल बैठकर वादी के भुगतान संबंधी दावों को तीन महिनों के अन्दर निबटाने को कहा गया था। इस आलोक में दिनांक 04.08.2014 को अपराह्न 4.00 बजे निदेशक (उच्च शिक्षा) के कार्यालय कक्ष में एक बैठक आहूत की गई है। सम्बंधित अधिकारियों के साथ इस वाद में उठाये गये बिन्दूओं के सन्दर्भ में विश्वविद्यालय स्तर पर लिये गये निर्णयों से संबंधित सभी मूल संचिकाये एवं अन्य संबंधित साक्ष्यों की अभिप्रमाणित प्रति के साथ बैठक में भाग लेना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

उप निदेशक (उच्च शिक्षा)